भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 890
दिनांक 07 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

जन औषधि केन्द्रों में दवाओं की गुणवत्ता

890. श्रीमती संजना जाटवः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कितने जन औषधि केन्द्र (जेएके) कार्य कर रहे हैं;
(ख) क्या सरकार ने जन औषधि केन्द्रों द्वारा आपूर्ति की गई दवाओं का आकलन करने के लिए कोई तंत्र स्थापित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या यह सच है कि जन औषधि केन्द्रों के माध्यम से आपूर्ति की गई अनेक दवाएं खराब गुणवत्ता वाली हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं;
(घ) क्या यह सच है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अनेक गरीब लोगों को जन औषधि केन्द्रों में दी जा रही सुविधाओं की जानकारी नहीं है; और
(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में लोगों के लिए जागरूकता अभियान चलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना योजना के तहत, राजस्थान राज्य में कुल 481 जन औषधि केंद्र खोले गए हैं।

(ख): जन औषधि केंद्रों पर सुचारू आपूर्ति और उत्पाद उपलब्धता के लिए, एक परिपूर्ण आईटी-सक्षम आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली स्थापित की गई है। इसमें गुरुग्राम में एक केंद्रीय मालगोदाम और बेंगलुरु, गुवाहाटी, चेन्नई और सूरत में चार क्षेत्रीय मालगोदाम शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली को सशक्त करने के लिए देश भर में 36 वितरक नियुक्त किए गए हैं।

400 गतिशील (फास्ट-मूविंग) उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उनकी नियमित रूप से निगरानी की जाती है। इसके अतिरिक्त, 200 दवाओं के लिए न्यूनतम स्टॉकिंग अनिवार्यता लागू की गई है, जिसमें योजना उत्पाद टोकरी में 100 सबसे अधिक बिक्री होने

वाली दवाएं और बाजार में 100 शीघ्रता से बिक्री होने वाली दवाएं शामिल हैं। स्टॉकिंग अनिवार्यता के तहत, जन औषधि केंद्र मालिक उनके द्वारा रखे गए उक्त 200 दवाओं के स्टॉक के आधार पर प्रोत्साहन का दावा करने के पात्र हो जाते हैं।

(ग): जी, नहीं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली दवाएं मानकों को पूरा करती हैं, निम्न यथा विनिर्दिष्ट कड़े उपाय किए गए हैं:

(i) दवाइयों की खरीद केवल विश्व स्वास्थ्य संगठन-उत्तम विनिर्माण पद्धति (डब्ल्यूएचओ-जीएमपी) प्रमाणित आपूर्तिकर्ताओं से की जाती हैं।

(ii) योजना के तहत आपूर्ति की जाने वाली दवाओं के प्रत्येक बैच का परीक्षण राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में किया जाता है और गुणवत्ता परीक्षण में सफल होने के बाद ही दवाएं जन औषधि केंद्रों को भेजी जाती हैं।

(iii) विक्रेताओं की सुविधाओं का गुणवत्ता ऑडिट नियमित रूप से भारतीय औषध और चिकित्सा उपकरण ब्यूरो द्वारा किया जाता है।

(घ) और (ङ): यह अनुमान है कि लगभग 10 से 12 लाख उपभोक्ता प्रतिदिन जन औषधि केंद्रों से दवाइयाँ खरीदते हैं, जो जनता में उच्च स्तर की जागरूकता को दर्शाता है। योजना के बारे में जागरूकता को और अधिक सृजित करने के लिए, योजना कार्यान्वयन एजेंसी, भारतीय औषध और चिकित्सा उपकरण ब्यूरो, अन्य बातों के अलावा, सतत रूप से निम्नलिखित उपाय करता है:

(i) विभिन्न माध्यमों से विज्ञापन जारी करना, जैसे प्रिंट मीडिया, रेडियो, टीवी, सिनेमा, होर्डिंग्स, बस क्यू शेल्टर और बसों की ब्रांडिंग, ऑटो रैपिंग और सामान्य सेवा केंद्रों पर टीवी स्क्रीन;

(ii) फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों तक जागरूकता; और

(iii) प्रत्येक वर्ष 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाना।

*****